दुकानों, ढाबों और कारखानों में मिले बच्चे तो होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 26 मई। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले में बाल श्रम और बंधक श्रम प्रथा के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि दुकानों, ढाबों, होटलों, कारखानों या किसी भी प्रकार के नियोजन में बाल श्रमिक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने श्रम निरीक्षक को नियमित जांच और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिला स्तरीय समिति की बैठक में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कहा कि बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। प्रशासन, श्रम विभाग, संबंधित विभागों और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए प्रभावी अभियान चलाना होगा। बैठक में बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत की जा रही कार्रवाई और पूर्व में चलाए गए रेस्क्यू अभियानों की समीक्षा भी की गई। श्रम निरीक्षक ने जानकारी दी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम पर रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है। वहीं 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक उद्योगों और जोखिम वाले कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। वर्ष 2016 के संशोधन के बाद किशोर श्रमिकों को लेकर कानून और अधिक कठोर बनाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।

जमीन विवाद में चली गोलियां

एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष

नवभारत न्यूज
शिवपुरी 26 मई। छान गांव में भागवत कथा के बैनर से शुरू हुई पारिवारिक तनातनी मंगलवार को खूनी संघर्ष में बदल गई। 4 बीघा जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते गांव रणक्षेत्र में बदल गया और दोनों ओर से पत्थरबाजी, लाठी-डंडे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। घटना में 14 वर्षीय बालिका समेत दो लोगों को गोली लगी है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, राम सिंह तोमर के बेटे शिशुपाल तोमर का अपने ही परिवार के लखन तोमर और इन्द्रपाल तोमर पक्ष से लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। हाल ही में कोर्ट का फैसला शिशुपाल के पक्ष में आने के बाद वह खेत पर तार फेंसिंग कराने पहुंचे थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने विरोध कर दिया। इसी पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। ग्रामीणों के मुताबिक अप्रैल में आयोजित भागवत कथा कार्यक्रम के बैनरों में परिवार के कुछ सदस्यों की फोटो नहीं लगाए जाने से दोनों पक्षों में विवाद गहरा गया था। उस समय समाज की पंचायत ने मामला शांत करा दिया था, लेकिन अंदरूनी तनाव लगातार बना रहा। मंगलवार को समाज की मौजूदगी में राजीनामे की बैठक चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग कट्टे, पिस्टल और लाठी-डंडों के साथ पहुंचे और हमला बोल दिया। फायरिंग में वीरेंद्र तोमर के हाथ में गोली लगी, जबकि मनीषा सोलंकी गंभीर रूप से घायल हो गई। कई अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई। घायलों को तत्काल करेरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में मनीषा सोलंकी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। आरोप है कि अस्पताल जाते समय भी आरोपियों ने रास्ते में पत्थरबाजी कर हमला किया। आयुष जाखड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद मुख्य कारण सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

नौतपा की तपिश में अग्नि तपस्या

गौ सेवक कल्लू महाराज ने मांगी देश और गौवंश की रक्षा की दुआ

नवभारत न्यूज
शिवपुरी 26 मई। नौतपा की प्रचंड गर्मी और 47 डिग्री तापमान के बीच जहां आमजन घरों में कैद हैं, वहीं करैरा क्षेत्र के गौ सेवक कल्लू महाराज धधकती अग्नि के बीच कठिन तपस्या करते नजर आए। उनकी यह अग्नि साधना जनकल्याण, गौ माता, जीव-जंतुओं और भारतीय सेना के जवानों की सुरक्षा व सुख-समृद्धि को समर्पित रही। तपस्या की तस्वीरें क्षेत्र में श्रद्धा और चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं।

कल्लू महाराज ने कहा कि भीषण गर्मी से केवल इंसान ही नहीं, बल्कि गौवंश, पशु-पक्षी और जलचर तक प्रभावित हो रहे हैं। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए उन्होंने भगवान से अच्छी बारिश, हरियाली और प्रकृति संतुलन की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि गौ माता सनातन संस्कृति की पहचान हैं और उनका संरक्षण हर व्यक्ति का धर्म है। तपस्या के दौरान उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि सैनिक हर मौसम में सीमा पर डटे रहते हैं, इसलिए यह साधना राष्ट्र रक्षा और जवानों की सुरक्षा के लिए भी समर्पित है। उनका कहना था कि हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि जवान सीमाओं पर जागते हैं। कल्लू महाराज ने पर्यावरण असंतुलन और बढ़ती गर्मी पर चिंता जताते हुए प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि मानवता, गौ सेवा, जीव संरक्षण और राष्ट्रभक्ति ही उनके जीवन का उद्देश्य है।

बाल विवाह पर प्रशासन का बड़ा एक्शन प्लान, गांव-गांव तैनात हुए प्रतिषेध अधिकारी

नवभारत न्यूज
शिवपुरी 26 मई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त मोड में आ गया है। वर्ष 2030 तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत जिला से लेकर गांव स्तर तक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। अब बाल विवाह की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई और कानूनी हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। पहले जहां यह जिम्मेदारी सीमित स्तर पर थी, अब प्रशासनिक ढांचे के हर स्तर पर जवाबदेही तय कर निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद सीईओ, परियोजना अधिकारी, सीएमओ, राजस्व निरीक्षक, महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक और ग्राम स्तर पर पटवारियों तक को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास पर गंभीर असर डालता है। यह केवल सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि कानूनन अपराध भी है। प्रशासन अब स्कूलों, पंचायतों और आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता अभियान चलाएगा। साथ ही बाल विवाह की सूचना पर तत्काल कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ईसीजीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393 / 1 से 45, एम. वी. रोड, अंधेरी पूर्व मुंबई - 400069, भारत

• **टेलि. :** 022-66590510 • **टोल फ्री क्र.:** 1800-22-4500 • **ई-मेल:** marketing@ecgc.in • हमें **www.ecgc.in** पर संपर्क करें।

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 124 सीआईएन U74999MH1957GOI010918

पंजीकरण की तिथि: 27 सितंबर, 2002

ECGC/HO/01/26-27

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें। हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगे।

31 मार्च 2026 समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम

प्रपत्र एनएल - 1 - बी-आरए
राजस्व खाता

सं. क्र.	विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं.	मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)	मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	एनएल - 4	1172,78.54	1155,69.11
2.	निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि		34,68.00	25,73.30
3.	ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		309,48.71	357,98.24
4.	अन्य			
	(क) अन्य आय			
	(i) शुल्क		1,92.11	1,76.12
	(ii) संपत्ति की बिक्री पर लाभ		27.68	4.48
	(iii) विविध आय		4,81.82	7,00.90
	(ख) शेयरधारक के खाते से योगदान			
	(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्ययों के प्रति		-	-
	(ii) प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी निदेशक/अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक के प्रति		-	-
	कुल (क)		**1523,96.86**	**1548,22.15**
5.	उपगत दावे (निवल)	एनएल - 5	388,53.62	(632,01.01)
6.	कमीशन	एनएल - 6	(14,28.10)	(11,34.44)
7.	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	एनएल - 7	390,46.67	364,28.08
8.	प्रीमियम में कमी		-	-
	कुल (ख)		**764,72.19**	**(279,07.37)**
9.	**विविध से परिचालन लाभ / (हानि) (ग) = (क - ख)**		**759,24.67**	**1827,29.52**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण		759,24.67	1827,29.52
	आपात प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	कुल (ग)		**759,24.67**	**1827,29.52**

प्रपत्र एनएल - 2 - बी-पीएल
लाभ व हानि खाता

सं. क्र.	विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं.	मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)	मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)
1.	**परिचालन लाभ / (हानि)**	एनएल - 1		
	(क) अग्नि बीमा		-	-
	(ख) मरीन बीमा		-	-
	(ग) विविध बीमा		759,24.67	1827,29.52
2.	**निवेश से आय**			
	(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		893,56.93	807,36.39
	(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ		98,70.45	57,27.67
	(ग) निवेश की बिक्री पर हानि		-	-
	(घ) निवेश पर प्रीमियम / छूट की ऋणमुक्ति		(13,00.68)	(11,95.50)
3.	**अन्य आय**			
	(क) अन्य ब्याज आय		2,64.92	101,48.65
	(ख) अन्य विविध आय और फैक्टरिंग आय		3,29.47	3,94.63
	कुल (क)		**1744,45.76**	**2785,41.36**
4.	**प्रावधान (कराधान के अलावा)**			
	(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए		-	-
	(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		(28.90)	60.75
5.	**अन्य व्यय**			
	(क) बीमा कारोबार के अतिरिक्त अन्य व्यय		2,43.66	1,42.47
	(ख) खराब ऋण को बट्टे खाते में डालना / बैड डेट्स		-	15,10.93
	(ग) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज		-	-
	(घ) सीएसआर गतिविधियों पर व्यय		55,70.00	45,20.00
	(ङ) जुर्माने		-	-
	(च) पॉलिसीधारक खाते में योगदान		-	-
	(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्ययों के प्रति		-	-
	(ii) प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी निदेशक / अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पारिश्रमिक के प्रति		-	-
	कुल (ख)		**57,84.76**	**62,34.15**
6.	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (क - ख)**		**1686,61.00**	**2723,07.21**
7.	**घटाएँ:**			
	(क) कराधान के लिए प्रावधान			
	- आस्थगित कर		3,87.26	16,34.08
	- चालू कर		408,00.00	656,00.00
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन		10.52	(29,08.83)
	(ग) कर समायोजन पूर्व वर्ष		(2,48.45)	3,14.63
8.	**कर पश्चात लाभ / (हानि)**		**1277,11.67**	**2076,67.33**
9.	**विनियोजन**			
	(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश		-	-
	(ख) अदा किया गया अंतिम लाभांश		-	-
	(ग) फैक्टरिंग योजना के लिए प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	(घ) सामान्य निधियों में अंतरण		886,69.67	1642,87.33
	पिछले वर्ष से आगे लाये गए लाभ / हानि शेष			
	तुलन पत्र में आगे लाये गए शेष		390,42.00	433,80.00

प्रपत्र एनएल - 3 - बी-बीएस
तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं.	31 मार्च 2026 को (रु. लाख)	31 मार्च 2025 को (रु. लाख)
निधियों के स्त्रोत			
शेयर पूंजी	एनएल - 8	4338,00.00	4338,00.00
प्रारक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	एनएल - 10	9990,07.52	9146,75.85
शेयर पूंजी के लिए अग्रिम राशि		-	-
उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
- शेयरधारक		876,39.50	1107,18.70
- पॉलिसीधारक		307,92.25	497,43.18
उधार	एनएल - 11	-	-
कुल		**15512,39.27**	**15089,37.73**
निधियों के अनुप्रयोग			
निवेश – शेयरधारक	एनएल - 12	13331,64.57	12270,68.69
निवेश - पॉलिसीधारक	एनएल - 12ए	4684,09.19	5512,91.75
ऋण	एनएल - 13	-	-
स्थिर परिसंपत्तियाँ	एनएल - 14	456,55.87	463,34.64
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		23,59.43	27,46.69
चालू परिसंपत्तियाँ			
नकद तथा बैंक शेष	एनएल - 15	1570,86.19	1101,78.42
अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ	एनएल - 16	730,48.66	803,13.23
उप कुल (क)		**2301,34.85**	**1904,91.65**
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
चालू देयताएँ	एनएल - 17	4480,81.19	4358,96.06
प्रावधान	एनएल - 18	804,03.45	730,99.63
उप कुल (ख)		**5284,84.64**	**5089,95.69**
निवल चालू परिसंपत्तियाँ (ग) = (क - ख)		(2983,49.79)	(3185,04.04)
विविध व्यय (जिसका लेखा-जोखा अभी तक समाप्त या समायोजित नहीं हुआ हो)	एनएल - 19	-	-
लाभ एवं हानि खाते में डेबिट शेष		-	-
कुल		**15512,39.27**	**15089,37.73**

प्रपत्र एनएल-20-विश्लेषणात्मक अनुपात अनुसूची
गैर जीवन कंपनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

सं. क्र.	विवरण	मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए	मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए
1.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर	6.77%	7.54%
2.	निवल मूल्य की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात	0.10	0.10
3.	निवल मूल्य की वृद्धि दर	6.25%	13.87%
4.	निवल प्रतिधारण अनुपात	83.19%	82.82%
5.	निवल कमीशन अनुपात	-1.18%	-1.00%
6.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय अनुपात	29.69%	29.77%
7.	निवल अंकित प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय अनुपात	31.38%	31.68%
8.	निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे	33.13%	-54.69%
9.	दावे प्रावधानों की तुलना में प्रदत्त दावे	21.13%	9.65%
10.	संयुक्त अनुपात	64.51%	-23.01%
11.	निवेश आय अनुपात	7.40%	7.34%
12.	निवल प्रीमियम की तुलना में तकनीकी प्रारक्षित निधियाँ अनुपात	3.60	3.89
13.	हामीदारी संतुलन अनुपात	34.79%	124.15%
14.	परिचालन लाभ अनुपात	64.74%	158.11%
15.	देयताओं की तुलना में चल परिसंपत्तियाँ अनुपात	0.59	0.49
16.	निवल अर्जन अनुपात	105.22%	183.49%
17.	निवल मूल्य पर प्रतिफल अनुपात	8.91%	15.40%
18.	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता अनुपात	56.64	57.13
19.	एनपीए अनुपात		
	सकल एनपीए अनुपात		
	निवेश:	0.50%	0.51%
	फैक्टरिंग :	93.66%	84.85%
	निवल एनपीए अनुपात		
	निवेश:	0.50%	0.51%
	फैक्टरिंग :	93.66%	84.85%
20.	ऋण- इक्विटी अनुपात	-	-
21.	ऋण सेवा बीमाकृत राशि अनुपात	-	-
22.	ब्याज सेवा बीमाकृत राशि अनुपात	-	-
23.	प्रति शेयर अर्जन	29.44	47.87
24.	प्रति शेयर पुस्तकीय मूल्य	330.29	310.85

टिप्पणियाँ:

1) यह सार्वजनिक प्रकटीकरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/एमआईएससी/256/09/2021 दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के अनुसार किया गया है।
2) उपरोक्त वित्तीय परिणामों की पहले लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई, और तत्पश्चात इन्हें 26 मई, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया।
3) पिछले वर्ष के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन:समायोजित/पुन:वर्गीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
हस्ताक्षर/-

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डिआईएन - 10375617

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 मई, 2026

बीमा आग्रह की विषयवस्तु है।